अपील सूचना अधिकार संख्या 37/2020 (RCMS 2020/00052) कालूराम पुत्र श्री मोतीलाल जाति अग्रवाल निवीस वार्ड संख्या 13 नया 03 रिफ्यूजी ब्लॉक रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>11.01.2021</u>

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** कालूराम दिनांक 04.03.2020 को स्वयं उपस्थित हुआ था, किन्तु उसके बाद की पेश एवं आज अपीलार्थी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2019 को प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने एवं वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

**मैनें पत्रावली का अवलोकन** किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कालूराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2019 की प्रति संलग्न नहीं की है परन्तु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर द्वारा प्रार्थी को दिनांक 14.11.2019 को जो जवाब दिया है उसमें अंकितानुसार अपीलार्थी ने निम्न सूचना चाही थी :

1. रिफ्यूजी ब्लॉक रायसिंहनगर के भूखण्डों की सूची जिनकी रजिस्ट्री खरीददार के नाम हो चुकी। सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि
2. रिफ्यूजी ब्लॉक रायसिंहनगर के भूखण्डों की सूची जिनकी रजिस्ट्री होना बाकी है। सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. नौरंग राम पुत्र श्री जीवनराम द्वारा दिनांक 26.08.1971 व दिनांक 12.01.1978 को जमा करवाई गई राशि की कार्यालय प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 1987 दिनांक 14.11.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

| क्र.सं. | सूचना का विवरण | प्रतिउत्तर |
|---|---|---|
| 1 | रिफ्यूजी ब्लॉक रायसिंहनगर के भूखण्डों की सूची जिनकी रजिस्ट्री खरीददार के नाम हो चुकी। सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि | आप द्वारा चाही गई सूचना आपसे सम्बन्धित नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। |
| 2 | रिफ्यूजी ब्लॉक रायसिंहनगर के भूखण्डों की सूची जिनकी रजिस्ट्री होना बाकी है। सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि। | आप द्वारा चाही गई सूचना आपसे सम्बन्धित नहीं होने के कारण उपलबध नहीं करवायी जा सकती। |
| 3 | नौरंग राम पुत्र श्री जीवनराम द्वारा दिनांक 26.08.1971 व दिनांक 12.01.1978 को जमा करवाई गई राशि की कार्यालय प्रति। | आप द्वारा चाही गई सूचना आपसे सम्बन्धित नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती। |

**अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका ने अपने पत्रांक 635 दिनांक 07.07.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :**

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक निवेदन है कि कालूराम पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल द्वारा दिनांक 11.09.2018 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई है वह श्रीमान अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर सूचना चाही गई है। प्रति संलग्न है। चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। सूचना सेवा में प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:02:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, रायसिंहनगर** द्वारा जो अपील का जवाब प्रेषित किया गया है वह प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2018 को सम्बन्ध में दिया गया है जो अति. जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है जबकि प्रार्थी की अपील उसके प्रार्थना पत्र 11.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर से सूचना चाही गई थी, जो उसके द्वारा अपने पत्रांक 1987 दिनांक 14.11.2019 से अपीलार्थी को दी गई है।

**चूंकि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2019** का सम्बन्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रायसिंहनगर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नगरपालिका की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है। **इसलिए इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील यहां से खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि चाहे तो सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।**

**अतः उक्त विवेचन** अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति** अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:02:59 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर